RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12757/2026
CNR: RJHC020258572026 | URN: CW / 2009U / 2026

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Jitendra Kumar S/o Sh. Ramesh, Aged About 24 Years, R/o Dhwaja Mauroli, Police Station Sadar Bayana, District Bharatpur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary (Home), Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. Principal Secretary, Department Of Social Justice Empowerment, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
3. Nodal Officer (Under Rule 9 Of The Sc/st (Poa Rules 1995) Cum Secretary), Department Of Information Technology And Communication, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
4. Director General Police, Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur.
5. Director Of Prosecution, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
6. Adg Police, C.i.d. (Crime Branch), Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur.
7. Adg Police (Civil Rights), Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur.
8. Superintendent Of Police, District Bharatpur, Bharatpur.
9. Station House Officer, Sadar Bayana, District Bharatpur, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Satish Kumar
For Respondent(s) : Mr. Rajendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

(Uploaded on 21/08/2026 at 10:34:28 AM)
(Downloaded on 26/08/2026 at 05:46:32 PM)

18/08/2026

याची अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण के वर्तमान् अन्वेषण अधिकारी श्री दिनेश कुमार मीणा, अति0 पुलिस अधीक्षक, सिविल राईट्स, पुलिस मुख्यालय, जयपुर उपस्थित।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

विद्वान लोक अभियोजक ने दिनांक 18.08.2026 की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह याचिका याची ने निष्पक्ष अन्वेषण (fair investigation) किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याची ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2024 पुलिस थान सदर बयाना, जिला–भरतपुर में दर्ज करवाई थी और अभियुक्त पक्ष द्वारा भी एक क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2024 इसी थाने में दर्ज करवाई गई थी। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज हुए 02 वर्ष 03 माह का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अब तक नतीजा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि मामला धारा 147, 148, 149, 323, 325, 341, 308, 447, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3–1(आर)(एस), 3–1(वीए) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों से संबंधित है। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(2) में अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों में 60 दिवस में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाना होता है और विलम्ब की स्थिति में अन्वेषण अधिकारी पर कारण लिखित में स्पष्ट करने का दायित्व है। उनका तर्क है कि इसी नियम के उपनियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत सचिव गृह विभाग, सचिव अनुसूचित जाति विकास विभाग, अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी, पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त को हर तीन माह की अवधि के बाद सभी लम्बित अन्वेषण, जो कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा किये जा रहे हैं, का पुनर्विलोकन (review) करने संबंधी प्रावधान है। उनका तर्क है कि वर्तमान् प्रकरण में निर्धारित अवधि 60 दिन, लगभग दो वर्ष पूर्व ही व्यतीत हो चुकी है तथा विलम्ब का कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रकरण में अब तक 5–6 बार अन्वेषणकर्ता बदल चुके हैं। उनका कहना है कि हर

(Uploaded on 21/08/2026 at 10:34:28 AM)
(Downloaded on 26/08/2026 at 05:46:32 PM)

अन्वेषण अधिकारी बार–बार पूर्व में की गई अन्वेषण की तस्दीक के लिए याची को बुलाता है और इससे स्वयं याची का ही उत्पीड़न (harassment) हो रहा है।

वर्तमान् अन्वेषण अधिकारी श्री दिनेश कुमार मीणा, अति0 पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि वे इस प्रकरण में दिनांक 23.07.2026 से अन्वेषण अधिकरी हैं तथा उन्होंने संबंधित प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया है और इस आशय की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। अन्वेषण अधिकारी तथा विद्वान लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि दो सप्ताह के भीतर वे न्यायालय में नतीजा प्रस्तुत कर देंगे।

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में लगभग 26–27 माह की लम्बी अवधि के उपरान्त भी अन्वेषण पूर्ण नहीं होना चिन्ताजनक है और इस अन्वेषण के पूर्ण नहीं होने का कोई समुचित कारण अब तक इस न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान् में प्रकरण के जो अन्वेषण अधिकारी हैं, वे दिनांक 23.07.2026 से अर्थात् लगभग 25 दिन पूर्व ही प्रकरण में अन्वेषणकर्ता नियुक्त होना बता रहे हैं। प्रकरण में अब तक जो भी अन्वेषण अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करने का कारण स्वयं वे अन्वेषणकर्ता तथा उनके पर्यवेक्षी प्राधिकारी (supervisory authority) ही स्पष्ट कर सकते हैं। साथ ही ऐसा भी दर्शित नहीं हो रहा है कि नियम 7(3) के प्रवधानों के अन्तर्गत किसी पर्यवेक्षी समिति (supervisory committee) द्वारा लम्बित अन्वेषण के संबंध में किसी प्रकार का कोई पुनर्विलोकन (review) किया गया हो। ऐसी स्थिति में विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में अब तक जो भी **अन्वेषण अधिकारी** रहे हैं तथा जिनका उल्लेख आज प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी है, से 60 दिवस में अन्वेषण पूर्ण नहीं होने और प्रकरण में हुए इस विलम्ब के कारणों के संबंध में **शपथपत्र** प्राप्त कर **आगामी तिथि** पर प्रस्तुत करें।

साथ ही विद्वान लोक अभियोजक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(3) में वर्णित पुनर्विलोकन/पर्यवेक्षी समिति के प्राधिकारीगण यथा **सचिव गृह विभाग, सचिव अनुसूचित जाति विकास विभाग, अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक**

(Uploaded on 21/08/2026 at 10:34:28 AM)
(Downloaded on 26/08/2026 at 05:46:32 PM)

अधिकारी, पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त के **शपथपत्र** भी उक्त नियम की पालना नहीं करने के कारणों के संबंध में प्रस्तुत करें।

प्रकरण दिनांक 07.09.2026 को सूचीबद्ध किया जावे। आयन्दा पेशी पर प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

(SHUBHA MEHTA),J

10/VISHAL SHARMA

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(Uploaded on 21/08/2026 at 10:34:28 AM)
(Downloaded on 26/08/2026 at 05:46:32 PM)